राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) उत्तराखण्ड, देहरादून।

विज्ञप्ति : एस.सी.ई.आर.टी. / शो0मू0 / 2174 / Scholarship Exam 2019 /2018-19 दिनांक 6 अगस्त, 2018।

विज्ञप्ति

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) उत्तराखण्ड द्वारा निम्न लिखित छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षा हेतु पात्र/अर्ह छात्र–छात्राओं से आवेदन–पत्र आमंत्रित किए जाते हैं सम्मिलित छात्रवृत्ति चयन परीक्षा **दिनांक 04 नवम्बर, 2018 (रविवार)** को प्रदेश के प्रत्येक विकासखण्ड में एक केन्द्र पर आयोजित की जाएगी।

1. राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना (NTSS)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् **(NCERT)** नई दिल्ली द्वारा संचालित राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना परीक्षा **(NTSE)** के अन्तर्गत कक्षा 10 में अध्ययनरत् प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए 1000 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। परिषद् द्वारा छात्रवृत्ति के लिए चयन हेतु दो चरणों में परीक्षा का आयोजन किया जाता है। उत्तराखण्ड राज्य हेतु आवंटित 39 छात्र/छात्राओं के प्रथम चयन हेतु एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाना है। प्रथम चरण की चयन परीक्षा के आधार पर चयनित छात्रों द्वारा **NCERT** नई दिल्ली द्वारा आयोजित द्वितीय चरण की परीक्षा में प्रतिभाग किया जाता है।

पात्रता – उत्तराखण्ड राज्य में संचालित राजकीय, स्थानीय निकाय, सवित्त एवं वित्तविहीन मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की कक्षा 10 में संस्थागत छात्र–छात्रा के रूप में अध्ययनरत् ऐसे छात्र–छात्रा जिन्होंने कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा न्यूनतम **65%** (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं शारीरिक रूप से अक्षम के लिए **55%**) अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो, अर्ह होंगे। अभिभावक की आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

2. राष्ट्रीय साधन–सह–योग्यता छात्रवृत्ति योजना (NMMSS)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय साधन–सह–योग्यता छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के लिए निर्धारित 1048 छात्रवृत्तियों हेतु परीक्षा आयोजित की जाती है।

पात्रता – उत्तराखण्ड में राज्य सरकार द्वारा संचालित राजकीय, स्थानीय निकाय तथा सवित्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा 8 में अध्ययनरत् छात्र/छात्रा जिन्होंने कक्षा 7 की परीक्षा **55%** (आरक्षित वर्ग के लिए **50%**) अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो तथा उनके माता–पिता या अभिभावक की वार्षिक आय रु0 **1.50** लाख से अधिक न हो, अर्ह होंगे। केन्द्रीय विद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं वित्तविहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राऐं राष्ट्रीय साधन–सह–योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा हेतु अर्ह नहीं हैं।

3. डॉ0 शिवानन्द नौटियाल छात्रवृत्ति तथा राज्य योग्यता छात्रवृत्ति योजना (Dr.SNNSS & SMSS)

राज्य सरकार द्वारा डॉ0 शिवानन्द नौटियाल छात्रवृत्ति योजना (Dr.SNNSS) के अन्तर्गत 11 (6 गढ़वाल मंडल एवं 5 कुमांयू मंडल) एवं राज्य योग्यता छात्रवृत्ति योजना (श्रीदेव सुमन छात्रवृत्ति) के अन्तर्गत 475 (प्रत्येक विकासखण्ड हेतु 5) छात्रवृत्तियों के चयन हेतु परीक्षा आयोजित की जाती है।

पात्रता – उत्तराखण्ड में राज्य सरकार द्वारा संचालित राजकीय, स्थानीय निकाय तथा सवित्त मान्यता प्राप्त (Aided) विद्यालयों की कक्षा 8 में अध्ययनरत् छात्र/छात्रा जिन्होंने कक्षा 7 की परीक्षा **50%** (आरक्षित वर्ग के लिए **40%**) अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो, अर्ह होंगे। केन्द्रीय विद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं वित्तविहीन मान्यता प्राप्त (Unaided) विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र इस छात्रवृत्ति परीक्षा हेतु अर्ह नहीं हैं।अभिभावक की आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

- **आवेदन पत्रों की प्राप्ति**– उक्त छात्रवृत्ति परीक्षाओं से सम्बन्धित आवेदन पत्र विकास खण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से दिनांक 21 अगस्त 2018 से निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र विद्यालयी शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड की वेबसाइट **schooleducation.uk.gov.in** एवं एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड की वेबसाइट **www.scert.uk.gov.in** से भी उपरोक्त तिथि के पश्चात डाउनलोड किए जा सकते हैं। NTSS के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप अलग है। NMMSS, Dr.SNSS एवं SMSS के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप समान है।
- **आवेदन पत्र कहाँ जमा करें**– पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र आवश्यक प्रमाण पत्रों (यथा जाति, विकलांगता आदि) सहित रजिस्टर्ड डाक या व्यक्तिगत रूप से अध्ययनरत् विद्यालय के विकास खण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दिनांक 04 **सितम्बर, 2018** तक जमा किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र की प्राप्ति में डाक द्वारा विलम्ब होने पर खण्ड शिक्षा अधिकारी व परीक्षा संस्था जिम्मेदार नहीं होगी। भरे हुए आवेदन पत्र NCERT नई दिल्ली अथवा SCERT उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय में कदापि न भेजें, इन कार्यालयों में सीधे प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
- **परीक्षा शुल्क**– राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना (NTSS) हेतु परीक्षा शुल्क का निर्धारण निम्नवत है–
- सामान्य/अन्य श्रेणी हेतु – रु. **200.00** (दो सौ मात्र) • एस.सी./एस.टी./दिव्यांग श्रेणी हेतु – रु. **100.00** (एक सौ मात्र)
- राजकीय/राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं हेतु एन.टी.एस. परीक्षा शुल्क देय नहीं है।
- राष्ट्रीय साधन–सह–योग्यता छात्रवृत्ति योजना (NMMSS), डॉ0 शिवानन्द नौटियाल छात्रवृत्ति योजना, राज्य योग्यता छात्रवृत्ति योजना (श्रीदेव सुमन छात्रवृत्ति) परीक्षा के लिए किसी भी प्रकार का **परीक्षा शुल्क देय नहीं** है।
- निजी विद्यालयों के छात्र–छात्राएं आवेदन पत्र के साथ परीक्षा शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा से संयुक्त निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड देहरादून के नाम डिमान्ड ड्राफ्ट (मूल रूप) से संलग्न करें।
- **आरक्षण** – वर्ष 2019 की राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा हेतु एन.सी.ई.आर.टी. के निर्देशानुसार अभ्यर्थियों के चयन में **ओ0बी0सी0–27%, एस.सी.–15% एस.टी.–7.5%** के आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। ओ0बी0सी0 (Non creame layer) प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो एवं इसमें जाति/समुदाय का उल्लेख भी हो। ओ0बी0सी0 प्रमाण पत्र में दी गयी जाति/समुदाय केन्द्र द्वारा उत्तराखण्ड हेतु निर्गत सूची में होनी आवश्यक है। केन्द्र द्वारा उत्तराखण्ड हेतु निर्गत ओ.बी.सी. जाति/समुदाय की जानकारी www.ncbc.nic.in से प्राप्त कर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र न्यूनतम निर्गत अधिकारी (तहसीलदार) से हस्ताक्षरित ही मान्य होगा। शारीरिक रूप से अक्षम आवेदकों के संदर्भ में जनपदीय चिकित्सा बोर्ड का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- राष्ट्रीय साधन–सह–योग्यता छात्रवृत्ति योजना (NMMSS), डॉ0 शिवानन्द नौटियाल छात्रवृत्ति योजना, राज्य योग्यता छात्रवृत्ति योजना (श्रीदेव सुमन छात्रवृत्ति) परीक्षा के चयन में आरक्षण राज्य सरकार के निर्देशानुसार देय होगा।

अपर निदेशक
एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड।